कार्यालय, प्रधानाचार्य, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

मे0का0दे0 / सूचना / 2024–25 / दिनांक 23.12.2024

नीलामी सूचना

इस कायार्लय के पत्रांक पत्रांक :– मे0का0दे0 / ध्वतीकरण / 2024–25 / 1809 दिनांक 21.12.2024 द्वारा महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध जिला चिकित्सालय, देवरिया के परिसर में शेष पुराने निष्प्रयोज्य घोषित भवनों के ध्वस्तीकरण कार्य हेतु सम्बंधित विशेषज्ञ निविदाकर्ताओं द्वारा भाग लेने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है।

नीलामी हेतु निविदा प्रपत्र दिनांक 24.12.2024 से दिनांक 13.01.2025 के अपरान्ह् 02:.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

समस्त विस्तृत विवरण कॉलेज की वेबसाईट www.mdbmc.ac.in, www.dgme.up.gov.in व https://deoria.nic.in पर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय के लेखा अनुभाग से सम्बंधित विवरण, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व तक प्राप्त किया जा सकता है।

प्रधानाचार्य,
महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

पत्रांकः–मे0का0दे0 / सूचना 2024–25 / 1814 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त नीलामी प्रपत्र को महानिदेशालय की वेबसाइट www.dgme.up.gov.in पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
03. मंडलायुक्त, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर।
04. जिलाधिकारी, देवरिया / जिला सूचना अधिकारी, देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि उक्त नीलामी प्रपत्र को जिला देवरिया की वेबसाइट https://deoria.nic.in पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
05. मुख्य विकास अधिकारी, देवरिया।
06. उपजिलाधिकारी देवरिया सदर।
07. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, देवरिया।
08. परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0 यूनिट–14, गोरखपुर।
09. अपर परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 रा0नि0नि0लि0, कुशीनगर इकाई, देवरिया।
10. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
11. श्री अजय कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देवरिया।
12. वेबसाइट इंचार्ज, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त नीलामी प्रपत्र को वेबसाईट पर तत्काल प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
13. विज्ञापन प्रबंधक, दैनिक जागरण, अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इण्डिया एवं हिन्दुस्तान टाइम्स को इस आशय से प्रेषित कि समस्त राष्ट्रीय संस्करणों में पठनीय न्यूनतम माप में विज्ञापन प्रकाशित करने के पश्चात जिला सूचना अधिकारी, देवरिया द्वारा बिल सत्यापित कराकर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भुगतान हेतु प्रेषित करें।

प्रधानाचार्य,
महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

कार्यालय, प्रधानाचार्य, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

पत्रांक :–मे0का0दे0/ध्वतीकरण/2024–25/1809 दिनांक – 21-12-2024

अल्पकालीन नीलामी–सूचना

नीलामी समिति सदस्यों की उपस्थिति में–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद–देवरिया (उ0प्र0) में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध जिला चिकित्सालय, देवरिया परिसर में पुराने निष्प्रयोज्य घोषित भवनों के ध्वतीकरण के पश्चात कार्यस्थल पर से समस्त समान हटाकर समतल एवं साफ किये जाने हेतु इच्छुक नीलामीदाताओं/ठेकेदारों से दिनांक **16.01.2025** को अपरान्ह 02:00 बजे प्रधानाचार्य, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया के सभाकक्ष में नीलामी की जायेगी। नीलामी सम्बंधी प्रपत्र एवं बिल ऑफ क्वांटिटि दिनांक **13.01.2025** को अपरान्ह 02:00 बजे तक इस कार्यालय एवं वेबसाइट www.mdbmc.ac.in, www.dgme.up.gov.in व https://deoria.nic.in से प्राप्त कर निविदा मूल्य व अन्य आवश्यक समस्त प्रपत्र जमा किया जा सकता है। सामग्री एवं लाट का विवरण निम्नवत है:–

लाट सं0	ध्वतीकरण हेतु भवन का विवरण	नीलामी हेतु न्यूनतम लागत (रू0 लाख में)	जमानत धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा शुल्क (रू0 में)	नीलामी में भाग लेने हेतु पात्र व्यक्ति	कार्य पूर्ण करने की अवधि
01	महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध जिला चिकित्सालय, देवरिया परिसर में पुराने निष्प्रयोज्य घोषित भवनें की ध्वतीकरण	41.99 (+18% GST)	4.199	2714 (2300+18% GST)	जो नीलामी में उल्लिखित शर्तो को पूर्ण करता हो और जिसके पास आवश्यक यंत्र–संयत्र उपलब्ध हो।	12 माह, चरणबद्ध तरीके से प्रधानाचार्य महोदय के निर्देशानुसार

नीलामी की शर्ते एवं नियमः–

01. महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध जिला चिकित्सालय, देवरिया परिसर में पुराने निष्प्रयोज्य घोषित भवन आदि का निरीक्षण नीलामी के तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक निष्प्रयोज्य घोषित भवन आदि में महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया के कार्यालय में सम्पर्क कर किया जा सकता है।
02. भवन की नीलामी जहॉं है, जैसा है के आधार पर की जायेगी।
03. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक फर्म द्वारा जमा की जानेवाली निविदा शुल्क एवं जमानत धनराशि जमा करनी होगी, यह धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के रूप में होगी, जो प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया के पदनाम जारी होनी चाहिए। यह बैक ड्राफ्ट नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व तक अर्थात दिनांक 12.01.2025 की सायं 04:00 बजे तक कार्यालय में कैशियर के पास जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे नीलामी में भाग लेने वाली फर्म को अपना नाम व पता अंकित करना होगा इसकी रसीद कैशियर से प्राप्त कर अभिलेखों के साथ जमा करना होगा।
04. उच्चतम बोली दाता को नीलामी बोली का 25 प्रतिशत धनराशि (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) जमा करना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) तीन दिन के अन्दर जमा करना होगा। तदोपरान्त ही भवन की ध्वस्त करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। अधिकतम बोली दाता द्वारा अगर निर्देशानुसार धन नहीं जमा किया जाता है, तो उसके द्वारा जमा जमानत धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी, और द्वितीय अधिकतम बोली दाता के पक्ष में प्रकरण निस्तारित कर दिया जायेगा।
05. जमानत धनराशि को नीलामी की उपयोगकर्तानुसार कार्यस्थल को पूर्ण रूप से साफ करने के उपरान्त वापस की जायेगी। यदि बोली दाता द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो उनकी जमानत धनराशि/धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है।
06. नीलामी की स्वीकृति पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध जिला चिकित्सालय, देवरिया का होगा। नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
07. नीलामी मूल्य पर नियमानुसार अलग से टैक्स देय होगा। स्वीकृति के उपरांत समस्त सामग्री को "जहॉं है, जैसा है, के आधार पर सप्पर्ण धन (टैक्स सहित) जमा करने के बाद निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यस्थल से हटाना होगा। निर्धारित समय में कार्य पूर्ण न हो पाने की दशा में नीलामी मूल्य का 05 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अधिभार लगाया जायेगा, किन्तु निर्धारित समय के उपरांत अतिरिक्त समयवृद्धि अधिकतम 10 दिन की होगी तत्पश्चात अवशेष सामग्री जब्त कर ली जायेगी।
08. उच्चतम बोली दाता को नीलामी स्वीकृति के उपरांत नीलामी में सम्मिलित भवनों को ध्वत करने से पहले इस बिन्दु का विशेष ध्यान रखना होगा कि समीप की अन्य संरचनाओं, बिजली तार, सीवर लाईन इत्यादि को किसी प्रकार की क्षति न पहुचें तथा मलवा निस्तारित करने की प्रक्रिया से आस–पास के कोई भी क्रिया–कलाप में बाधित न हो।
09. महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया परिसर में पुराने निष्प्रयोज्य घोषित भवनों पर पेन्ट से लाट सं0 लिखा रहेगा, उसके अतिरिक्त उच्चतम नीलामी दाता (जिसके पक्ष मे ध्वतीकरण हेतु स्वीकृति जारी कर दी गयी हो) द्वारा कोई भवन क्षतिग्रस्त

10. नीलामी के निस्तारण का अंतिम निर्णय प्रधानाचार्य, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया का होगा एवं विवाद की दशा में इनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
11. नीलामी की न्यूनतम बोली (विभाग द्वारा जैसा कि तालिका के कॉलम –3 मे निर्धारित है) से प्रारम्भ होगी।
12. नीलमी में भाग लेने वाली फर्म को निम्नलिखित अभिलेख दिनांक 13-01-2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे तक जमा/आनलाईन अपलोड करना होगा।
    क) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।
    ख) जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
    ग) पैनकार्ड की प्रमाणित छायाप्रति।
    घ) आधार कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति।
    ड़) आयकर क्लीयरेंस का प्रमाण–पत्र।
    च) कम से कम 02 जे0सी0वी0 एवं चार ट्रक (अच्छी दशा में) के स्वामित्य अथवा किराये पर उपलब्ध कराने का शपथ पत्र रू0 100 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर दिया जायेगा।
    छ) नीलामी प्रपत्र, जिसपर नीलामी दाता के हस्ताक्षर हों।
    ज) 10 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करने की प्राप्ति रसिद।
13. समस्त नीलामी प्रपत्र एक साथ लिफाफे में दिनांक 13-01-2025 अपरान्ह 02:00 तक दी जायेगी जिसमें क्रम सं0 12 पर अंकित सभी अभिलेख एवं जमानत धनराशि जमा करने की रसिद के साथ निविदा प्रपत्र जमा करना होगा। जिसकी जांच कर नीलामी हेतु पात्र पाये गये फर्मो के पात्रता सूची दिनांक 17-01-2025 को अपरान्ह 2 बजे तक सूचना पट्ट पर प्रकाशित कर दी जायेगी।
14. नीलामी के 01 दिन पूर्व नीलामी के इच्छुक फर्मो से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्री–बिड मीटिंग की जायेगी जिसमें नीलामी दाता की समस्त जिज्ञासाओं का निराकरण किया जायेगा।
15. भवन ध्वतीकरण हेतु किसी विस्फोटक का उपयोग नहीं किया जायेगा।
16. भवन ध्वतीकरण एवं मलवें के निस्तारण में स्थानीय समस्त नियम एवं व्यवस्थाओं का पालन करना होगा। इसके दौरान यदि किसी सार्वजनिक सम्पत्ति अथवा किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति की क्षति होती है तो उसका निर्माण/क्षतिपूर्ति नीलामी दाता को स्वयं करना होगा।
17. यदि भवन ध्वतीकरण के दौरान खजाना अथवा बहुमूल्य सामग्री निकलती है तो जिलाधिकारी देवरिया को तत्काल इसकी सूचना देना होगा एवं उसके निर्देशानुसार जमा करना होगा।
18. नियमानुसार लेबर सेस देय होगा।
19. महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया परिसर में निष्प्रोज्य भवनों को लाट संख्या के अनुसार चरणबद्ध रूप से ध्वतीकरण कर मलवा हटाने का कार्य उच्चतम बोली दाता द्वारा किया जायेगा।

<u>निम्नानुसार निर्णय लिए गयेः–</u>

शासनादेश सं0–57/18–2–2024–97(ल0उ0)/2016 दिनांक 26.11.2024 में उल्लिखित प्राविधानों पर चर्चा की गयी और यह निर्णय लिया गया कि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही उक्त शासनादेश के निर्गत तिथि से पूर्व से ही चल रही है। समयाभाव के दृष्टिगत पूर्व निर्धारित पद्धति से ही उक्त ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

श्री अजय कुमार सिंह,
सहायक अभियन्ता, प्रा0ख0,लो0नि0वि0,
जनपद–देवरिया
सदस्य

परियोजना प्रबन्धक,
सी0 एण्ड डी0एस0 यूनिट–14,
गोरखपुर।
संयोजक

अपर परियोजना प्रबन्धक,
उ0प्र0 रा0नि0नि0लि0, कुशीनगर,
इकाई, देवरिया
संयोजक

अधिशासी अभियन्ता,
प्रा0ख0, लो0नि0वि0, देवरिया
सदस्य

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
सदस्य

उप जिलाधिकारी,
देवरिया सदर, देवरिया
सदस्य

प्रधानाचार्य,
महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
सदस्य

मुख्य विकास अधिकारी,
देवरिया।
अध्यक्ष